तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम की तामील
	पक्षकार है तथा मुख्य पक्षकारों की तामिल सम्यक रूप से होकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है अतः वकील प्रार्थी का निवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 3 ता 5 की तलबी बन्द की जाती है। तत्पश्चात प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 01/5/2021 को पेश हो।	
01/5/21	पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई वकील प्रार्थी उप०। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी पूर्व में सुनी जा चुकी है। बरवक्त बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा०पत्र T.I. वाजदायरी स्वीकार कर मूल प्रा०पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि अप्रार्थीगण की तामिल सम्यक रूप से होने के उपरान्त उनके हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है जिससे उनकी हस्तगत प्रा०पत्र के प्रति मौन स्वीकृति प्रलक्षित होती है तथा मामला अचल सम्पत्ति का है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर प्रा० पत्र वाजदायरी स्वीकार किया	

Scanned by TapScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	जाता है तथा दस्तगत प्रा०पत्र से सम्बन्धित मूल प्रा० पत्र T.I. उनवानी चीडानाथ बनाम फूलानाथ वगै० मु० नं० 456/2013 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01/4/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राकेश कुमार) RAS सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला।	

Scanned by TapScanner